

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1979/माघ 27, 1900  
No. 79] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1979/MAGHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1979

का०मा० 95(अ):—आवश्यक वस्तु/लोहा और इस्पात 2(ग)—केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड-2 के उप-खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश करती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०मा० 1525/आव०वस्तु/लोहा और इस्पात 2(ग),

तारीख 29 अप्रैल, 1964 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :-

उन अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, "अन्य" शीर्षक के अन्तर्गत स्तम्भ में, क्र०सं० 82 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

| 1                                                   | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------|---|---|
| "83" उप क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, बम्बई । |   |   |
| लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के सभी खण्ड          |   |   |
| [सं० एस०सी०-1(5)/78-डी 1 (ए)]                       |   |   |
| ए० एन० राजगोपालन, निदेशक                            |   |   |

## MINISTRY OF STEEL AND MINES.

(Department of Steel)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1979

**S. O. 95(E)—/ESS. COMM/IRON AND STEEL-2(c).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) of clause 2 of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby directs that the following further amendments shall be made to the Notification of the Government of India, in the late Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering, No. S.O. 1525/ESS. COMM/IRON AND STEEL-2(c), dated the 29th April, 1964 namely :—

In the Schedule annexed to the said Notification, in column under the heading "OTHERS", after serial No. 82 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted namely :—

| 1    | 2                                                  | 3                                                  |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| "83" | Deputy Regional Iron and Steel Controller, Bombay. | All clauses of the Iron and Steel (Control) Order. |

[No. SC-1(5)/78-DIA]  
A. N. RAJAGOPALAN, Director